महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : www.hindivishwa.org

विद्या-परिषद की

44वीं बैठक (आकस्मिक) का कार्यवृत्त

दिनांक	:	20 सितंबर, 2024 (शुक्रवार)
समय	:	अपराह्न 04.00 बजे
स्थान	:	महादेवी वर्मा सभागार विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

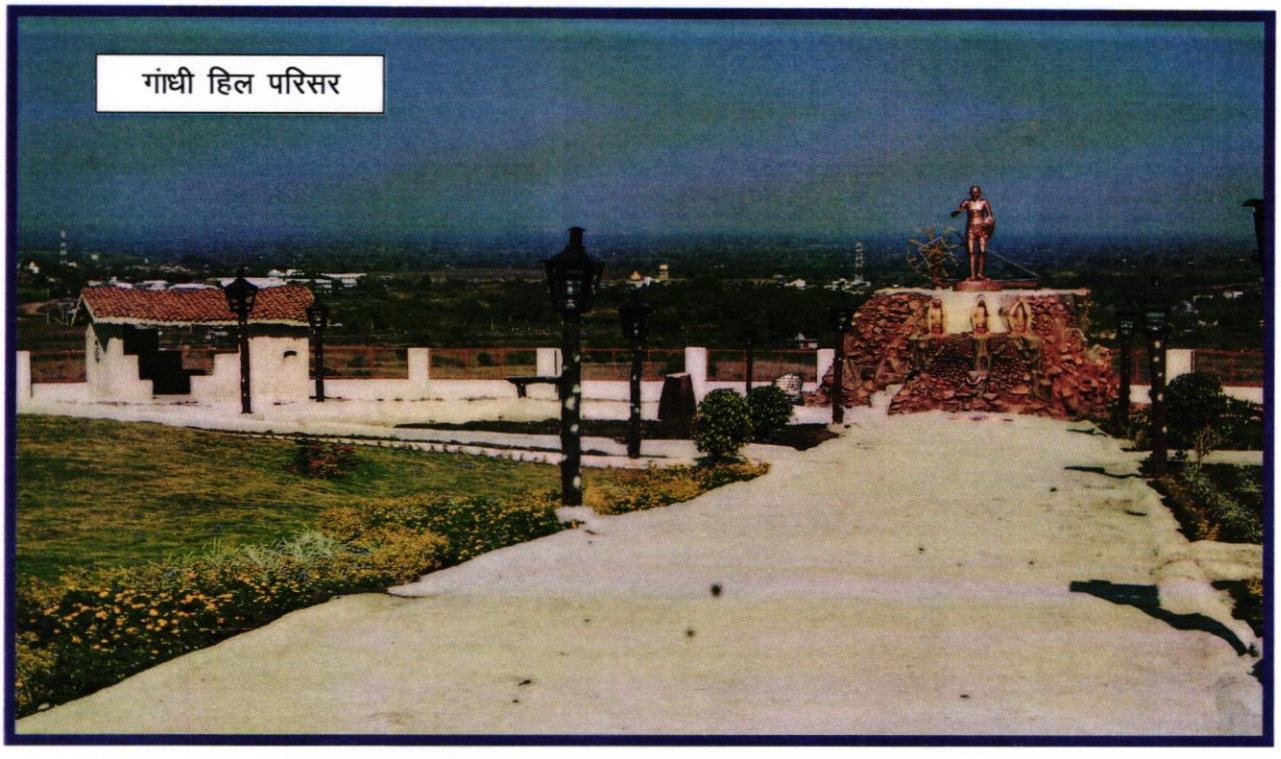

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 44वीं बैठक (आकस्मिक) बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 20.09.2024 (शुक्रवार)

समय : अपराह्न 04.00 बजे

स्थान : महादेवी वर्मा सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	पीएच.डी. शोधार्थी सुश्री आरती, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर–सिदो–कान्हू–मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र की पीएच.डी. मौखिकी कराने के संबंध में विचार विमर्श।	2
2.	विश्वविद्यालय के नियमित विभागों/केंद्रों में संचालित नियमित (Regular) कार्यक्रमों को दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत दूर शिक्षा माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव।	3
3.	AQAR- 2022-23 के मसौदे की स्वीकृति।	
4.	विश्वविद्यालय का अकादमिक वर्ष (2024–25) कैलेंडर।	4
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।		
5.	श्री अमित गौरव, बी.एड.–एम.एड. एकीकृत के पाठ्यक्रम का अवधि विस्तार।	
6.	शिक्षा मंत्रालय से अतिथि अध्यापकों की नियुक्तियों के संबंध में प्राप्त पत्र।	5

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद् की 44वीं (आकस्मिक) बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : **महादेवी वर्मा सभागार, तुलसी भवन**
विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

दिनांक : **20 सितंबर, 2024 (शुक्रवार)**

समय : **अपराह्न 04:00 बजे**

विद्या–परिषद् की 44वीं (आकस्मिक) बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 20.09.2024 (शुक्रवार) को अपराह्न 04.00 बजे महादेवी वर्मा सभागार, तुलसी भवन, वर्धा में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति थी :

1.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर	अधिष्ठाता : शिक्षा विद्यापीठ एवं अध्यक्ष, शिक्षा तथा मनोविज्ञान विभाग
3.	प्रो. फरहद मलिक	अधिष्ठाता : मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ, अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, अध्यक्ष, इतिहास और समाजशास्त्र विभाग एवं निदेशक, भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र
4.	प्रो. अवधेश कुमार	अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ, अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ, अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण, अध्यक्ष, मराठी साहित्य विभाग, अध्यक्ष, संस्कृत साहित्य विभाग एवं अध्यक्ष, भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा अभियांत्रिकी विभाग
5.	प्रो. बंशीधर पाण्डेय	अधिष्ठाता, प्रबंधन विद्यापीठ, निदेशक, वर्धा समाज कार्य संस्थान एवं कुलानुशासक
6.	प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी	अधिष्ठाता : विधि विद्यापीठ एवं अध्यक्ष, विधि विभाग

7.	प्रो. कृपाशंकर चौबे	अध्यक्ष, जनसंचार विभाग
8.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	प्रोफेसर **(ऑनलाइन)**
9.	प्रो. दिगंबर तंगलवाड	प्रोफेसर एवं अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज **(ऑनलाइन)**
10	डॉ. रविंद्र टी. बोरकर	अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग
11.	डॉ. एच.ए.हुनगुंद	अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग
12.	डॉ. रामानुज अस्थाना	अध्यक्ष, तुलनात्मक साहित्य विभाग
13.	डॉ. राकेश कुमार मिश्रा	अध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
14.	डॉ. विपिन कुमार पाण्डेय	अध्यक्ष, दर्शन एवं संस्कृति विभाग
15.	डॉ. अवंतिका शुक्ला	अध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग **(ऑनलाइन)**
16.	डॉ. वीरेंद्र प्रताप यादव	सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग
17.	डॉ. मैत्रेयी घोष	पुस्तकालयाध्यक्ष
18.	डॉ. दिव्येंदु मिश्र	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि **(ऑनलाइन)**
19.	श्री आशिष काटेखाये	विद्यार्थी प्रतिनिधि
20.	प्रो. आनन्द पाटील	कुलसचिव एवं पदेन सचिव तथा निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय
21.	श्री पी. सरदार सिंह	वित्त अधिकारी (स्थायी आमंत्रित)
22.	श्री क़ादर नवाज़ ख़ान	परीक्षा नियंत्रक (विशेष आमंत्रित)

शेष सदस्य अपरिहार्य कारणवश उपस्थित नहीं हो सके। विश्वविद्यालय के कुलगीत से बैठक का प्रारंभ हुआ। पदेन सचिव द्वारा समस्त उपस्थित के स्वागतोपरांत माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरंभ की गयी। तद्नुसार सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय इस प्रकार है :

मद संख्या – 1

पीएच.डी. शोधार्थी सुश्री आरती, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर–सिदो–कान्हू–मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र की पीएच.डी. मौखिकी कराने के संबंध में विचार विमर्श।

सुश्री आरती ने प्रो. लेला कारूण्यकरा के निर्देशन में "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दलित महिला शोधार्थियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (विशेष संदर्भ : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय)" विषय पर अपना शोध–प्रबंध दिनांक 09.11.2023 को जमा किया था। बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 01.02.2024 व 02.02.2024 को क्रमशः प्राप्त हुई है।

प्रो. लेला कारूण्यकरा दिनांक 25.04.2024 से निलंबित हैं। शोधार्थी इतने दीर्घ अन्तराल से प्रतीक्षित है और मौखिकी कराने हेतु सतत निवेदन कर रही है। मौखिकी सम्पन्न कराने हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेश में निम्नांकित प्रावधान हैं :

22.6 (a) The viva-voce examination shall be conducted by the Viva-Voce Board which shall consist of the following members :

i.	The Head of the Department/Director of the Centre	: Chairperson
ii.	The concerned supervisor	: Member
iii.	One of the External examiners, who has evaluated the Ph.D. thesis	: Member

निर्णय : –

विद्या–परिषद् ने विचार – विमर्श के उपरांत विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता को मौखिकी (Viva-Voce) **कराने के लिए अधिकृत किया।**

मद संख्या – 2

विश्वविद्यालय के नियमित विभागों/केंद्रों में संचालित नियमित (Regular) कार्यक्रमों को दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत दूर शिक्षा माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय ड्यूएल मोड के अंतर्गत संचालित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशानुसार नियमित कार्यक्रमों को ही दूर शिक्षा माध्यम से संचालित किया जा सकता है। अध्ययन कार्यक्रमों में, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की स्वीकृति UGC-DEB द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य स्तर (प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा, पी.जी. डिप्लोमा इत्यादि) के कार्यक्रमों को संस्थान के सांविधिक निकायों से स्वीकृति प्राप्त कर संचालित किया जा सकता है।

उपर्युक्त के आलोक में समस्त विभागों/केंद्रों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को दूर शिक्षा माध्यम से संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत। इसी प्रकार नये प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम बनाने हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों के संकाय सदस्यों को निर्देशित किये जाने पर विचार–विमर्श।

निर्णय :

विद्या–परिषद् ने विचार–विमर्श के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के नियमित विभागों/केंद्रों में संचालित नियमित कार्यक्रमों को दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत दूर शिक्षा माध्यम से संचालित करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की।

मद संख्या – 3

AQAR- 2022-23 के मसौदे की स्वीकृति।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष की AQAR रिपोर्ट तैयार की जाती है। वर्ष AQAR 2022-23 का मसौदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

विद्या–परिषद् ने AQAR- 2022-23 **के मसौदे का अवलोकन के उपरांत मसौदे को स्वीकृति प्रदान की।**

मद संख्या– 4

विश्वविद्यालय का अकादमिक वर्ष (2024–25) कैलेंडर।

वर्तमान अकादमिक वर्ष (2024–25) के लिए तैयार किया गया अकादमिक कैलेंडर 2024–25 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

विद्या–परिषद् ने अकादमिक वर्ष (2024–25) के लिए तैयार किये गये अकादमिक कैलेंडर को अनुमोदित किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

मद संख्या – 05

श्री अमित गौरव, बी.एड.–एम.एड. एकीकृत को पाठ्यक्रम अवधि विस्तार।

बी.एड.–एम.एड. एकीकृत के सत्र : 2016–19 के छात्र श्री अमित गौरव के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि इस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश विवरणिका में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की समयावधि तीन वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के Regulation में बी.एड.–एम.एड. एकीकृत के संबंध में निम्न उल्लेख है :

> NCTE Regulation No- F-51&1/ 2014-NCTE (N&S) Appendix-15 3.1 के अनुसार "The Integrated B-Ed--M-Ed- programme shall be of a duration of three academic years including two summers- **Students shall be permitted to complete the programme requirements of the three-year programme with in a maximum period of four years from the date of admission to the programme-"**

श्री अमित गौरव का नामांकन 27.07.2016 को हुआ था जिसके अनुसार उनके द्वारा कार्यक्रम पूर्ण करने की विस्तारित अवधि समाप्त हो चुकी है ।

श्री अमित गौरव के संदर्भ में विभागाध्यक्ष द्वारा छात्र हित में कार्यक्रम पूर्ण किए जाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने एवं भविष्य में इस प्रकरण को दृष्टांत न माने जाने की टिप्पणी (विद्या–परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में) के साथ पत्रावली क्रमांक : 066/2016–19/बी.एड–एम.एड. एकीकृत/शि.वि./01 प्रस्तुत की गई जिसपर पत्रावली के नोटशीट क्रमांक N/03 के पैरा 15 पर दिनांक 21/07/2023 को कुलपति महोदय द्वारा विद्या–परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में सहमति प्रदान की गई। जिसके अनुसरण में संबंधित विभाग द्वारा छात्र श्री अमित गौरव की मौखिकी दिनांकः 07/11/2023 को कराई गई। मौखिकी के उपरांत बाह्य परीक्षक द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन अंक एवं छात्र की शोध निर्देशक डॉ. शिल्पी कुमारी द्वारा प्रदत्त आंतरिक मूल्यांकन अंक के सकल योग के आधार पर श्री अमित गौरव के लघु शोध प्रबंध का मूल्यांकन पत्रक विद्यापरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

विद्या–परिषद् ने छात्र हित और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नियमों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से इस संबंध में किये गये पत्राचार का संज्ञान लेकर पुनः अनुस्मारक भेजकर अनुमति मिलने की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

मद संख्या : 06

शिक्षा मंत्रालय से अतिथि अध्यापकों की नियुक्तियों के संबंध में प्राप्त पत्र।

शिक्षा मंत्रालय से पत्रांक 26-9/2024-(CU)-IV दिनांक 19.09.2024 प्राप्त हुआ है, जिसमें अतिथि अध्यापकों की विश्वविद्यालय में की जा रही नियुक्तियों के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

> *" Kindly refer to the University's communication dated 17.09.2024 regarding the conduct of interviews for Guest Teachers at Mahatma Gandhi Antanashtriya Hindi Vishwavidyalaya (MGAHV), Wardha. lt is advised that no appointments' including that of Guest Teachers, should be made without the prior knowledge and confirmation of the Academic Council and Executive Council of the University. This must be strictly complied with."*

विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2024–25 प्रारंभ हो गया है। कक्षाएँ संचालित करने के लिए नियुक्त स्थायी शिक्षकों की संख्या वर्क लोड की दृष्टि से अत्यल्प है। अतः अतिथि अध्यापकों की नियुक्तियाँ करना अति आवश्यक है।

शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त सलाह के परिप्रेक्ष्य में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

विद्या–परिषद् ने शिक्षा मंत्रालय के पत्र का अवलोकन किया और रेखांकित किया कि विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक सत्र 2024–25 हेतु अतिथि अध्यापकों के विभिन्न पद विज्ञापित किये गये हैं और साक्षात्कार प्रक्रियाधीन हैं। विद्या–परिषद् ने चिंता जतायी कि कि बिना संकाय सदस्यों के अकादमिक कार्य बाधित होंगे। अतः विद्या–परिषद् सर्वसम्मति से अकादमिक क्रिया–कलापों/गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विश्वविद्यालय हित में अकादमिक सत्र 2024–25 हेतु अतिथि अध्यापकों की साक्षात्कार प्रक्रिया जारी रखने एवं नियुक्ति करने पर एकमत हुई। तदनुसार शिक्षा मंत्रालय को अवगत कराने का निर्णय हुआ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

(प्रो. आनन्द पाटील)
कुलसचिव (कार्यवाहक) एवं पदेन सचिव : विद्या–परिषद
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा